न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 48 / 2019

प्रार्थी

1 धनराज गोदीपुत्र लक्ष्मण राम

2 विद्यया देवी पत्नि लक्ष्मण राम जातिगण कलाल (मेवाडा) निवासीगण सोजत सिटी, जिला पाली।

वनाम

अप्रार्थीगण

1. दुर्गाराम पुत्र पुख जी जाति माली निवासी सोजत सिटी जिला पाली।
2. सम्पतराज पुत्र अमोलकचन्द के कायम मुकाम
   2/1 रमेश कुमार पुत्र सम्पतराज
   2/2 राजेन्द्र कुमार पुत्र सम्पतराज
   2/3 सुरेश कुमार पुत्र सम्पतराज
   2/4 महेश कुमार पुत्र सम्पतराज
   2/5 राजेश्वरी पुत्री सम्पतराज
   2/6 जयमाला पुत्री सम्पतराज जाति जैन (महाजन) निवासी मकान न0 740, जैन चौका के पास, कोट का मौहल्ला, सोजत सिटी जिला पाली।
3. तेजाराम पुत्र मूलाराम के का0मु0
   3/1 कचरू पुत्र तेजाराम
   3/2 महेन्द्र पुत्र तेजाराम जातियान वावरी, निवासी रामासनी वाला, तहसील सोजत जिला पाली।
4. रूपाराम पुत्र मूलाराम के का0मु0
   4/1 सोहनलाल पुत्र रूपाराम
   4/2 जगदीश पुत्र रूपाराम
   4/3 जयराम पुत्र रूपाराम जातिगण वावरी, निवासी रामासनी वाला, तहसील सोजत जिला पाली।
5. मदनलाल पुत्र अमराराम
6. मोहनी पत्नि श्रवण
7. सोनकी पत्नि मांगीलाल
8. फाउलाल पुत्र मांगीलाल
9. कैलाश पुत्र मांगीलाल
10. भोलाराम पुत्र अमराराम जातियान बावरी निवासीगण बेरा कंतेरिया सोजत सिटी जिला पाली।
11. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक)।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

01. श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

दिनांक : 26/03/2026

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रामासनी वाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 111 रकबा 2.1300 है0 किस्म बारानी दोयम भूमि प्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पास ही उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 दुर्गाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 1.9800 है0 स्थित है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पूर्व में खसरा संख्या 119 रकबा 4.1300 है0 अप्रार्थी संख्या 2 की आई हुई है, प्रार्थीगण की कृषि भूमि के दक्षिण में खसरा संख्या 113 रकबा 1.1100 है0 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 3 व 4 की सामलाती आई हुई है, इसी प्रकार खसरा संख्या 112 रकबा 1.7900 है0 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 5 से 10 की संयुक्त आई हुई है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पश्चिम में सोजत चक 1 की सरहद आई हुई है। जहां सरहद का मुड्डा संख्या 27 आया हुआ है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के चारो तरफ माठ स्थित है। जिस माठ को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच आये दिन मन मुटाव होता रहता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 2.1300 है0 है, लेकिन मौके पर उक्त कृषि भूमि के उतर – पूर्व व पश्चिम दिशा के पडौसी अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण की कृषि भूमि के बीच उपस्थित माठ को अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में खिसकाते हुए अतिक्रमण करते हुए बीच की माठ को लेकर आपसी विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच धोरा पाली व माठो को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को वादग्रस्थ कृषि भूमि का सीमांकन करने हेतु पैमाईश करने एवं माठो की सही स्थिति में मुटाम (मुड्डा) लगवाकर हमेशा हमेशा खत्म करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि की सीमांकन हेतु पैमाईश करवाने से सहमत नहीं हुए। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 2.1300 है0 का सीमांकन जरिये पत्थरगढी से पैमाईश करवा के मौके पर मुटाम (मुड्डा) लगवाना चाहता है। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच माठो का विवाद समाप्त हो जाये। दिनांक 06.06.2019 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कृषि भूमि खसरा नम्बर 111 की पैमाईश एवं सीमांकन फसल बौने से पहले करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि की सीमांकन एवं पैमाईश करवाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा रामासनीबाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 111 रकबा 2.1300 है0 किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा रामासनीबाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 111 रकबा 2.1300 है0 किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि का प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 111 रकबा 2.1300 है0 किस्म बारानी दोयम की कृषि प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06/03/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)